संख्या- 276 / 2023 / 3870 /चार-2023

प्रेषक,

दुर्गा शंकर मिश्र,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. **अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव**,
नगर विकास/ नागरिक सुरक्षा/ प्रान्तीय रक्षक दल एवं युवा कल्याण/ पंचायती राज/ ग्राम्य विकास/खेल/सैनिक कल्याण/ गृह विभाग/ बेसिक शिक्षा/ माध्यमिक शिक्षा/ उच्च शिक्षा/ सूचना एवं जनसम्पर्क/ वन विभाग, उत्तर प्रदेश।

2. **समस्त मण्डलायुक्त**,
उत्तर प्रदेश।

3. **समस्त जिलाधिकारी**,
उत्तर प्रदेश।
4. **समस्त पुलिस आयुक्त/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक,**
उत्तर प्रदेश।

संस्कृति अनुभाग **लखनऊः दिनांक 06 सितम्बर, 2023**

विषयः ''आजादी का अमृत महोत्सव'' योजना के अन्तर्गत प्रदेश में 'मेरी माटी मेरा देश-अमृत कलश यात्रा' कार्यक्रम के आयोजन के सम्बन्ध में।

महोदय,

''आजादी का अमृत महोत्सव'' भारत की आजादी के 75 साल पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आयोजित एक पुनीत माटी-वन्दनोत्सव है, जिसमें हम सभी के लिए अपनी विराट सांस्कृतिक विरासत से प्रगाढ़ रूप से रूबरू होने, उसकी भव्यता पर गर्व करने और ऐसे गर्वजनित रस में डूबकर उत्सवमय आनन्द लेने का स्वर्णिम अवसर है। यदि हम सभी संकल्पित होकर और जनसहभागिता के साथ इस महोत्सव को मनायें तो यह हमारा परम सौभाग्य होगा और ऐसे सौभाग्यमय उत्सवी रस की जन-जन तक पहुँच का सुनिश्चयन सरकार का परम ध्येय है।

2. इस महोत्सव की आधिकारिक यात्रा की शुरूआत 12 मार्च, 2021 को साबरमती में मा. प्रधानमंत्री जी के राष्ट्रप्रेम के उद्बोधन से हुई थी। आजादी के 75 वर्ष के उपलक्ष्य में चलने वाले इस कार्यक्रम का समापन अब देशभर से 'मेरी माटी मेरा देश-अमृत कलश यात्रा' के चरम के साथ 30 अक्टूबर, 2023 को नई दिल्ली के कर्तव्य-पथ पर किया जाना प्रस्तावित है।

3. 'मेरी माटी मेरा देश' की अवधारणा देश की स्वतंत्रता और प्रगति की याद दिलाते हुए भारत की मिट्टी के लिए जन-जन के हृदय में चिरस्थापित प्रेम को और भी सुपुष्पित कराने और हमारी माटी में बसे वीरता के चिरन्तन भाव का पुनर्जागरण कराने की भावभूमि के समवेत विरचन की एकीकृत परिकल्पना है।

4. उल्लिखित अवधारणा आधारित 'मेरी माटी मेरा देश-अमृत कलश यात्रा' कार्यक्रम ग्रामीण व शहरी, दोनों क्षेत्रों में निम्नानुसार आयोजित होंगेः

(अ) ग्रामीण क्षेत्र में आयोजित होने वाले कार्यक्रम :

(1) प्रत्येक ग्राम के महिला मंगलदल, युवक मंगल दल/ऑगनबाड़ी कार्यकत्री, ग्राम पंचायत के सदस्य आदि अन्य उत्साही स्वयंसेवी ग्रामीणजन के साथ जुलूस निकालकर गाँव के प्रत्येक घर से मुट्ठीभर मिट्टी अथवा चुटकी भर अक्षत (चावल) प्राप्त करेंगे। ये जूलूस/टोलियाँ जिलाधिकारी द्वारा 11 सितम्बर से 30 सितम्बर, 2023 के मध्य नियत तिथि पर गाँव के प्रत्येक घर-घर जाकर उक्त सामग्री का संचयन करेंगे

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

एवं शासकीय प्राथमिक/अपर प्राइमरी विद्यालय अथवा ग्राम सचिवालय भवन में अमृत-कलश में इसका संग्रहण करेंगे।

(2) दिनांक 11 सितम्बर से 30 सितम्बर, 2023 के मध्य (जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित तिथि पर) अमृत-वाटिकाओं/ अमृत शिलापट्ट (शिलाफलकम्) स्थलों पर एक समारोह का आयोजन किया जायेगा, जिसमें ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत सदस्य, राशन कोटेदार, ग्राम स्तरीय समस्त कर्मी तथा अन्य समस्त स्थानीयजन उपस्थित रहेंगे। यह कार्यक्रम भव्य रूप से मनाया जायेगा, जिसमें स्थानीय स्तर पर उपलब्ध कलाकारों द्वारा राष्ट्रभक्तिपूर्ण सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं माटी-गीत की प्रस्तुति के साथ-साथ सम्बन्धित ग्राम-पंचायतों के वीर शहीदों के परिवारजनों का सम्मान एवं पंचप्रण की शपथ दिलायी जायेगी।

(3) **ब्लाक-स्तर पर आयोजित होने वाले कार्यकम :**

प्रत्येक गाँव/ग्राम-पंचायत से संग्रहीत अमृत-कलश लेकर युवक मंगल दल/महिला मंगल दल/ नेहरू युवा केन्द्र/ स्काउट एवं गाइड्स/ एन0सी0सी0 एवं अन्य ग्रामीण-जन दिनांक 01 अक्टूबर से 13 अक्टूबर, 2023 के मध्य **(जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित तिथि पर)** जुलूस की शक्ल में, ग्रामीण मार्गों से होते हुए, ब्लाक मुख्यालय पर पहुँचेंगे जहाँ समस्त ग्रामों से प्राप्त अमृत-कलशों में संग्रहीत मिट्टी का भावमय मिश्रण करते हुए ब्लॉक स्तरीय अमृत-कलश तैयार किया जायेगा।

(4) प्रत्येक ब्लाक में तैयार किया गया एक अमृत-कलश इस निमित्त चयनित 02 पुरूष व 02 महिलाओं (कुल 04 स्वयंसेवकों) द्वारा आगे जनपद मुख्यालय, प्रदेश मुख्यालय व देश की राजधानी दिल्ली ले जाया जायेगा। इन **स्वयंसेवकों का सम्पूर्ण डाटा/विवरण (नाम, पिता/पति का नाम, उम्र, पता, आधार कार्ड नम्बर, मोबाइल नम्बर) जिलाधिकारी द्वारा तैयार कराते हुए उसे संस्कृति विभाग व युवा कल्याण विभाग को दिनांक 15 सितम्बर, 2023 तक उपलब्ध कराया जायेगा।**

(5) अमृत-कलश-यात्रा जिसमें साइकिल/मोटर साइकिल/अन्य समरूप सुलभ वाहनों को अनुषंगी रूप में शामिल कराते हुए उत्सवी स्वरूप में कलशधारी समूह के साथ जिलाधिकारियों द्वारा निर्धारित तिथियों पर क्रमश: विकास खण्ड एवं जिला मुख्यालय पहुंचेंगें। इस कार्यक्रम हेतु जिला युवा कल्याण अधिकारी द्वारा स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप, सूक्ष्म योजना तैयार कर अमृत-कलश-यात्रा का आयोजन किया जायेगा। इस अवसर पर **जिलाधिकारी द्वारा नियत तिथि पर आयोजित ब्लॉक-स्तरीय समारोह में आयोजित वीरों का सम्मान भी किया जायेगा तथा ज्यादा से ज्यादा संख्या में जन-भागीदारी सुनिश्चित की जायेगी।**

(ब) शहरी क्षेत्रों में कार्यक्रम की रूपरेखाः

(1) शहरी क्षेत्रों में आयोजित होने वाले कार्यक्रमों में एनसीसी, एनएसएस, नागरिक सुरक्षा संगठन, नगरीय स्वास्थ्य अधिकारी अथवा नगर निकायों के मा0 अध्यक्ष/मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा नियत व्यक्तियों द्वारा (महिलाओं के समुचित प्रतिनिधित्व के साथ) दिनांक 11 सितम्बर से 30 सितम्बर के मध्य जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित तिथि पर ग्रामीण क्षेत्रों की भाँति नगर निकायों के प्रत्येक वार्ड के प्रत्येक घर से मुट्ठी भर मिट्टी अथवा चुटकी भर अक्षत (चावल) अमृत कलश में संगृहीत किये जायेंगे जिन्हें किसी सुरक्षित स्थल-नगर निकाय का कम्युनिटी सेन्टर अथवा पार्षद के संरक्षण में उनके आवास, सरकारी स्कूल आदि में समुचित व्यवस्था के साथ सुरक्षित रखा जायेगा।

(2) दिनांक 01 अक्टूबर से 13 अक्टूबर, 2023 के मध्य ब्लॉक स्तर पर जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित तिथि के अनुरूप ही प्रत्येक नगर निकाय के वार्डों से अमृत-कलशों में संगृहीत मुट्ठीभर मिट्टी एवं चुटकी भर अक्षत (चावल) को नगर निकायों के अमृत-वाटिका/शिलापट्ट (शिलाफलकम्) स्थल पर समारोहपूर्वक लाया जायेगा। जहाँ भावमय मिश्रण करते हुए आगे की अमृत-कलश-यात्रा हेतु एक अमृत-कलश तैयार किया जायेगा। इस अवसर पर आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम में वीरों का सम्मान तथा पंचप्रण शपथ दिलायी जायेगी। इस कार्यक्रम में नगर निकाय के समस्त सभासद एवं अन्य जन-प्रतिनिधियों तथा स्थानीय नागरिकों की सहभागिता सुनिश्चित की जायेगी।

(स) जिला स्तरीय कार्यक्रम की रूपरेखाः

(1) जिले के समस्त ब्लॉकों एवं नगर-निकायों में एकत्रित किये गये अमृत-कलशों को दिनांक 13 अक्टूबर से 25 अक्टूबर, 2023 के मध्य (जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित तिथि एवं स्थल पर) जिला मुख्यालय पहुँचाया जायेगा। सुझाव है कि जिलाधिकारी द्वारा जिला मुख्यालय पर दिनांक 25 अक्टूबर, 2023 की तिथि नियत करके जिला स्तर पर अमृत-कलशों के आगमन के अवसर पर भव्य समारोह एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किये जायें जिनमें प्रभारी मा0 मंत्रीगण/अन्य मा0 जनप्रतिनिधिगण की गारिमामयी उपस्थिति भी निवेदित की जाये। कार्यक्रम के दौरान पंचप्रण की शपथ भी दिलायी जाए।

(2) ऐसे जनपद जहाँ से लखनऊ 5-6 घंटे में रोड से पहुँचा जा सकता है, में यह कार्यक्रम 25 अक्टूबर, 2023 को सायं किया जा सकता है, जिससे हर ब्लॉक एवं नगर निकाय के स्वयंसेवक 26 अक्टूबर,

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

2023 को प्रातः लखनऊ के लिए प्रस्थान कर सकेंगे। अन्य जनपद जहाँ से लखनऊ पहुँचने में 6 घंटे से ज्यादा अवधि लग सकती है, किसी अन्य जनपद से सम्पर्क स्थापित करके वहाँ रात्रि विश्राम की व्यवस्था कर ली जाये, जिससे वहाँ से 5-6 घंटो का समय ही लखनऊ पहूॅचने में लगे एवं अमृत-कलश-यात्री स्वयंसेवियों को अनावश्यक थकावट न हो इसीलिए ऐसे जनपदों में जिला स्तर का कार्यक्रम 25 अक्टूबर, 2023 को पूर्वान्ह में सम्पादित कर पार्टियों को दोपहर के बाद इंटरमीडिएट हाल्ट के जनपदों के लिए रवाना कर दिया जाये।

(3) प्रत्येक जिले से सुसज्जित वाहनों पर अमृत-कलश रखे जायेंगे और इस प्रकार लखनऊ तक अमृत-कलश का उत्सवी परिवहन किया जायेगा। 02 सुसज्जित बसों के माध्यम से स्वयंसेवक (प्रत्येक विकास खण्ड/नगर निकाय से 4 व्यक्ति (2 पुरूष व 2 महिला)) प्रदेश की राजधानी लखनऊ के लिए इस प्रकार से प्रस्थान करेंगे कि वे 26 अक्टूबर, 2023 को सांयकाल तक लखनऊ पहुॅच जायें। अमृत-कलश-यात्रा में माटी गीत तथा अन्य राष्ट्रभक्तिपूर्ण गीत डीजे/लाउड स्पीकर के माध्यम से बजाये जायेंगे।

(4) अमृत-कलश-यात्रा की पुलिस सुरक्षा व्यवस्था एवं पुलिस स्कॉर्ट वाहन का प्रबन्ध सम्बन्धित जनपद के पुलिस आयुक्त/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा किया जायेगा।

(5) जनपद से आगे प्रदेश की राजधानी लखनऊ एवं राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली तक की अमृत-कलश-यात्रा के समन्वय हेतु जिला युवा कल्याण अधिकारी/ जिला समन्वयक नेहरू युवा केन्द्र नोडल अधिकारी होंगे।

(द) राज्य स्तरीय कार्यक्रम की रूपरेखाः

(1) दिनांक 27 अक्टूबर, 2023 को प्रदेश की राजधानी लखनऊ में राज्य स्तरीय कार्यक्रम अमृत-वाटिका (निकट झूलेलाल पार्क, गोमती तट, लखनऊ) में आयोजित किया जायेगा।

(2) इस कार्यक्रम में मा0 मुख्यमंत्री/मा0 उप मुख्यमंत्रीगण/मा0 मंत्रीगण/मा0 सांसदगण/ मा0 विधायकगण / मेयर/ जिला परिषद अध्यक्ष एवं अन्य मा0 जनप्रतिनिधियों की गारिमामयी उपस्थिति निवेदित की जायेगी।

(3) कार्यक्रम के उपरांत अमृत-कलश-यात्रियों/स्वयंसेवकों को विशेष अमृत-रेलगाड़ियों के माध्यम से नई दिल्ली प्रस्थान कराया जाएगा। नई दिल्ली में अमृत-कलश-यात्रा के अवस्थान आदि से सम्बन्धित विभिन्न कार्यों के समन्वय हेतु जिलाधिकारी, गाजियाबाद एवं जिलाधिकारी, गौतमबुद्धनगर नोडल अधिकारी के रूप में नामित किये जाते हैं, जो प्रदेश के स्थानिक आयुक्त, नई दिल्ली एवं भारत सरकार के युवा कल्याण मंत्रालय व संस्कृति मंत्रालय के साथ समन्वय स्थापित करते हुए समस्त प्रतिभागियों हेतु नई दिल्ली मे समुचित अवस्थान भ्रमण एवं भोजन आदि की व्यवस्थाएं सुनिश्चित करायेंगे।

(4) दिनांक 30 अक्टूबर, 2023 नई दिल्ली के कर्तव्य पथ पर आयोजित मुख्य कार्यक्रम में प्रदेश के समस्त ब्लॉको/नगर निकायों के अमृत-कलश-यात्री-स्वयंसेवक/प्रतिनिधि स्थानीय पारम्परिक परिधानों में प्रदेश का गरिमामय प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करेंगे अतः वे अपने साथ इसकी व्यवस्था कर अवश्य साथ ले जायेंगे।

5. कार्यक्रमों में सक्रिय भागीदारी सुनिश्चयन हेतु एतत्सम्बन्धी जानकारी अभियान से जुड़ी वेबसाइट http://yuva.gov.in/meri-mati-mera-desh से प्राप्त की जा सकती है। इस वेबसाइट पर इस अभियान से सम्बन्धित प्रचार-प्रसार सामग्री, जैसे-स्टैण्डी/ होर्डिंग/ बैनर/ बैकड्राप/ पंचप्रण उद्घोष/ मिट्टी-गान विषयक वीडियो क्लिप/ प्रचार अभियान की टैगलाइन से सम्बन्धित जानकारी डाउनलोड की जा सकती है। इस प्रचार सामग्री को स्थानीय प्रचार माध्यमों, सिनेमा हाल, सार्वजनिक उद्घोष स्थलों, बस स्टेशन, टोल प्लाजा, पेट्रोल-डीजल पम्पों आदि के माध्यम से जनमानस में प्रचारित-प्रसारित किया जायेगा।

6. उक्त विभिन्न स्तरों पर आयोजित समस्त कार्यक्रमों की फोटो/ वीडियो/ सेल्फी (मुट्ठीभर मिट्टी अथवा चुटकी भर अक्षत (चावल) के साथ) एवं **कार्यक्रमों की संकलित सूचना संस्कृति विभाग के पोर्टल http://culturalevents.in पर अपलोड की जाये, जिससे कार्यक्रम के बाद पूरे आयोजन के सम्बन्ध में संकलित रिपोर्ट बनाने में उक्त का उपयोग किया जा सके।**

7. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि इस अभियान के उपरोक्तानुसार उल्लिखित समस्त कार्यक्रमों के सफल आयोजन हेतु पूर्ण तैयारियां सुनिश्चित करते हुए कार्यक्रम की विस्तृत कार्य-योजना एवं व्यापक प्रचार-प्रसार सहित क्रियान्वित कराने का कष्ट करें।

संलग्नक : यथोक्त।

भवदीय,
दुर्गा शंकर मिश्र
मुख्य सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

<u>पृ0सं0- 276 / 2023 / 3870 /चार-2023, तद्दिनांक।</u>

प्रतिलिपि-

1. अपर मुख्य सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उ0प्र0।
2. निजी सचिव, मा0 उप मुख्यमंत्रीगण/ मा0 मंत्रीगण/मा0 राज्य मंत्रीगण।
3. समस्त जिला युवा कल्याण अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
4. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उल्लिखित समस्त कार्यक्रमों की सफल क्रियान्वयन के दृष्टिगत अभियान का व्यापक प्रचार-प्रसार सुनिश्चित करने का कष्ट करें।
5. निदेशक, संस्कृति निदेशालय को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उत्सवधर्मितापूर्ण उक्त आयोजनों के अनुकूल सांस्कृतिक कार्यक्रमों की विस्तृत रूपरेखा बनायें व उन्हें विभिन्न विभागों के साथ समन्वय कर क्रियान्वित करायें।

आज्ञा से,
मुकेश कुमार मेश्राम
प्रमुख सचिव

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।